न्यायालय राजस्व परिषद उत्तराखण्ड़, देहरादून।

पुनर्विलोकन याचिका संख्या – 170 वर्ष 2015 अन्तर्गत आदेश 47 नियम 01 सी0पी0सी0 तथा सपठित धारा 341 ज0वि0अधिनियम

साहब सिंह पुत्र अनूप सिंह निवासी ग्राम जयनगर नं0–5, तहसील गदरपुर, जिला उधमसिंह नगर।

बनाम

अखिल कुमार ओझा व 06 अन्य निवासी ग्राम जयनगर, तहसील गदरपुर, जिला उधमसिंह नगर।

उपस्थित : एस0रामास्वामी, मा0 अध्यक्ष।

अधिवक्ता पुनर्विलोकनकर्ता : श्री पी0के0गर्ग।

अधिवक्ता उत्तरदाता : श्री सी0एम0असवाल।

निर्णय

यह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा द्वितीय अपील संख्या 123/2013–14 अखिलेश कुमार ओझा बनाम साहब सिंह आदि में पारित आदेश दिनांक 06.10.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

मैंने पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र पर पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना तथा आदेश दिनांक 06.10.2015 का अवलोकन किया।

पुनर्विलोकन प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि द्वितीय अपील के निस्तारण में कोई भी विधिक् प्रश्न जो धारा–100/103 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत निर्मित किये जाने थे, नहीं किये गये है। अतः उनका निर्धारण कर आदेश दिनांक 06.10.2015 निरस्त कर अपील को पुनः सुना जाय, कि अवर दोनों न्यायालय में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का विस्तारपूर्वके विवेचन कर आदेश पारित किया है, कि द्वितीय अपील में अन्यथा कोई बिन्दु निर्धारित न होने के कारण अपील निरस्त होनी चाहिए थी, कि द्वितीय अपील में दोनों न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों पर दुबारा विवेचना नहीं की जा सकती है, कि द्वितीय अपील में मा0 न्यायालय का यह कथन कि वादी का अध्यासन वादग्रस्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना सिद्ध नहीं होता है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य में एवं

द्वितीय अपील में अपील के आधार के सर्वथा विरूद्ध है, कि परीक्षण न्यायालय में वादी के साक्ष्य मे कागज संख्या 17/1, 17/3, 17/4 व 17/5 तथा संबंधित पटवारी के साक्ष्य कागज संख्या 36 वादी का कब्जा पूर्ण सिद्ध करता है, कि कागत संख्या 4/12 आकार पत्र एवं प0क0 24 में भी स्थल पर कब्जा साहब सिंह का दर्शाया गया है। अतः रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आक्षेपित आदेश दिनांक 06.10.2015 अपास्त किया जाय। विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में आर0डी0 1972 पेज 451 से 453, सी0एम0आर0डी0 संख्या 572–1982 बालकिशन बनाम राजस्व परिषद, उ0प्र0 आदि एवं इस न्यायालय की रिव्यू संख्या 117/2014–15 जगशरण सिंह आदि बनाम ए0एन0झा राजकीय इण्टर कालेज आदि की न्यायिक व्यवस्थाएं प्रस्तुत की हैं।

दूसरी ओर उत्तदाता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि पुनर्विलोकन का सीमित दायर होता है इसमें आदेश 47 नियम 1 सी0पी0सी0 के तहत मात्र कलमी भूल या त्रुटि को ही ठीक किया जा सकता है। गुण–दोष के आधार पर पारित आदेश को पुनर्विलोकन में बदला नहीं जा सकता है। जो द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है उसमें सहमति के आधार पर ही कब्जा होने का उल्लेख किया गया है तथा अपील में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि वादी द्वारा वाद इकरारनामे के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। अतः रिव्यू प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाय। विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में (2014)1 उच्चतम न्यायालय केसेस 669, सिविल अपील संख्या 16895, 16899 और 16900 वर्ष 1996 राजस्व परिषद, कर्नाटका व अन्य बनाम भारत सरकार व अन्य का सहारा लिया है।

परीक्षण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर प्रतिकूल अध्यासन के आधार पर दावा दिनांक 29.08.2007 को सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, रूद्रपुर, उधमसिंह नगर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रतिवादी संख्या 02 अखिलेश कुमार ओझा से 13 वर्ष पूर्व वादग्रस्त भूमि का कब्जा दखल लेने का उल्लेख किया गया है। अवर न्यायालय में जो खतौनी 1398 से 1403 फसली कागज संख्या 4/10 व 4/11 प्रस्तुत की गयी है उसमें प्रतिवादी संख्या 2 से 6 का नाम विरासतन दिनांक 06.07.1995 तथा 12.06.1997 को अंकित हुआ है। इस प्रकार वाद प्रस्तुत होने की तिथि दिनांक 29.08.2007 को प्रतिवादीगण के नाम के इन्द्राज होने की अवधि 12 वर्ष 01 माह होती है जबकि वादी वादग्रस्त भूमि को 13 वर्ष पूर्व प्रतिवादी से कब्जा प्राप्त करने की बात स्वीकार कर रहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि खतौनी में नाम की प्रविष्टि हुए बिना प्रतिवादीगण द्वारा वादी को वादग्रस्त भूमि का कब्जा दिया गया है जबकि वाद प्रस्तुत करने के दिनांक से 13 वर्ष पूर्व खतौनी में कुंजबिहारी एवं श्याम करण का नाम दर्ज था। वाद पत्र के चरण संख्या 03 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 02 ने 2 लाख रूपये लेकर इकरारनामा दिनांक 21.01.1998 को तकमीम कराया , तथा प्रतिवादी संख्या 03 ने 4 लाख रूपये लेकर इकरारनामा दिनांक 18.

07.1995 को कराया तथा कब्जा दखलवादी को दे दिया से स्पष्ट है कि इकरारनामे के आधार पर प्रतिफल अदा कर प्राप्त कब्जे को प्रतिकुल कब्जा कैसे माना जा सकता है। अन्तिम इकरारनामा जो दिनांक 30.05.2005 को साहब सिंह व राजेन्द्र प्रसाद के मध्य हुआ है उसमें भी 2 लाख रूपये लेकर भूमि का कब्जा क्रेता साहब सिंह को दिया जायेगा का उल्लेख किया गया है जबकि प्रतिकुल अध्यासन का दावा वर्ष 2007 में 02 वर्ष पश्चात् किया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकरण में प्रतिकुल अध्यासन के आधार पर जो वाद प्रस्तुत किया गया है वह स्टाम्प ड्यूटी अदा करने से बचने के लिए किया गया है जबकि प्रतिकुल अध्यासन का वाद वाद पत्र में अंकित कथन एवं वादी द्वारा स्वयं प्रस्तुत इकरारनामों के आधार पर पोषणीय ही नहीं था तद्नुसार इस न्यायालय में पूर्व में अपील संख्या 123/2013–14 अखिलेश कुमार ओझा साहब सिंह आदि में पारित आदेश दिनांक 16.10.2015 में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है तथ रिव्यू प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है।

उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आलोक में विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत न्यायिक व्यवस्थाओं पर कोई टिप्पणी करना प्रासंगिक नहीं है।

आदेश

रिव्यू प्रार्थना पत्र दिनांक 08.10.2015 निरस्त किया जाता है तथा आदेश दिनांक 06.10.2015 की पुष्टि की जाती है। पूर्व में पारित स्थगनआदेश वापस लिया जाता है। इस आदेश की एक प्रति कलेक्टर, उधमसिंह नगर को इस आशय से प्रेषित की जाय कि प्रकरण में स्टाम्प चोरी से संबंधित कोई तथ्य .तो नहीं छुपा हुआ है तद्नुसार वे जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करेंगे। अवर न्यायालयों की पत्रावलियां वापस की जाय एवं इस न्यायालय की पत्रावली संचित हो।

(एस0रामास्वामी)
अध्यक्ष।

आज दिनांक 27.12.2017 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(एस0रामास्वामी)
अध्यक्ष।